

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य
उप सचिव,
सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

29/06/10

विषय : विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भोजपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार रूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कामजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भोजपुर को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त रिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय जनसेवा समिति सोसाइटी के अधीन रांगालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निर्विधित सोसाइटी/न्यास के फैन्चाईजी अध्या किसी विद्यालय के बांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी० बी० एस० ई० के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपरकर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 10 (दस) शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तों रखी कार है।

Principal

अपेक्षित शर्तों के अनुसार VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL
Bihiya-Jagdishpur Road

Bhojpur, Bihar

Manager

VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL
BIHIYA-JAGDISHPUR

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25% प्रतिशत नामांकन पढ़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का नि: शुल्क किया जायेगा तथा उनसे दयूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा दर्वा, अल्पसंख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी शास्त्रशिक्षण की लागत ८०,०००/- रुपया उपर्याद से कम रखा गया है।

- (ii) विद्यालय में नर्सरी/को० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो, तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/को० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का ४० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर, यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित भार्ती का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल की घर सर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख का प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। भार्ती के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-४६, दिनांक १८.०१.२००८ द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भोजपुर को री० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु इस शर्त के साथ अनापति प्रमाण-पत्र दी जाती है कि विद्यालय १५ दिनों के अंदर विद्यालय के कमरे एवं उसके आकार के संबंध में प्रतिशापथ पत्र देंगे।

अनुलग्नक :— जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ओकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को उनके पत्रांक २९६ दिनांक ०६.०३.०९ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(ओकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापांक.....

555

दिनांक.....

29/03/10

प्रतिलिपि : प्राचार्य, विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ओकार नाथ आर्य)
उप सचिव

Principal
VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL
Bihiya-Jagdishpur Road
Bhojpur, Bihar

Ramsharan
Manager
VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL
BIHIYA-JAGDISHPUR